

एक संवैधानिक महत्व की घटना

प्रासंगिकता: जीएस 2: राज्य विधानमंडल - संरचना, कामकाज, व्यापार का संचालन, शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

कीवर्ड: • संविधान का अनुच्छेद- 176, राज्यपाल का अभिभाषण, अनुच्छेद 175, चुनी हुई सरकार की नीतियां और कार्यक्रम, कार्यकारी जवाबदेही, शमशेर सिंह मामला।

चर्चा में क्यों?

- तमिलनाडु के राज्यपाल ने, तमिलनाडु विधानसभा के सदस्यों (2023 का पहला सत्र) के लिए पारंपरिक राज्यपाल के अभिभाषण में, एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैराग्राफ को छोड़ दिया, जिसने राज्य में एक बड़े विवाद को जन्म दिया है।



मामला क्या है?

- विचाराधीन पैराग्राफ शासन के द्रविड़ मॉडल को संदर्भित करता है जिसका महान राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व है, विशेष रूप से तमिलनाडु में।
- वर्तमान राज्यपाल को शासन या राजनीति या उसके समृद्ध सांस्कृतिक अतीत (उनके भाषणों और टिप्पणियों में स्पष्ट) के द्रविड़ मॉडल की अवधारणा के साथ कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, जो समझ में आता है।
- यहां मुद्दा राज्यपाल की किसी विशेष राजनीतिक विचारधारा या सांस्कृतिक परंपरा के प्रति व्यक्तिगत पसंद या नापसंद का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या संवैधानिक प्राधिकरण संवैधानिक कार्य करते हुए अच्छी तरह से स्थापित और अनिवार्य संवैधानिक प्रथाओं से विचलित हो सकता है।

राज्यपाल का संबोधन:

- संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्यपाल को अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में विधायिका के सदस्यों को संबोधित करने और इसके सम्मन के कारणों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 176 (2) कहता है कि विधायिका ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा करेगी।
- यहां "संबोधन" का अर्थ पूरा संबोधन है न कि छोटा या विकृत संस्करण।
- इसलिए, राज्यपाल विधायकों के सामने जो पढ़ते हैं वह एक पूरा अभिभाषण होता है जिसकी संपूर्ण सामग्री पर सदन में विधायकों द्वारा अनिवार्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए।

राज्यपाल के अभिभाषण का महत्व:

- संविधान सदन को राज्यपाल के अभिभाषण की सामग्री पर चर्चा करने के लिए समय निकालने के लिए एक विशिष्ट निर्देश देता है।
- यह विशेष महत्व का है कि संविधान कहीं और नहीं कहता है कि विधायिका को अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा किसी विशेष मामले पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए नियम बनाने चाहिए।
- यह इस बात को रेखांकित करता है कि संविधान राज्यपाल के ऐसे अभिभाषण को कितना महत्व देता है।
- राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से, सरकार विधायिका को उस वर्ष के अपने प्रमुख विधायी कार्यक्रमों, पिछले वर्ष की उपलब्धियों और भविष्य के लिए अपने विकास कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा की जानकारी देती है।
- सरकार के इन कार्यक्रमों और नीतियों को राज्यपाल के माध्यम से विधायिका तक पहुँचाया जाता है। इस प्रकार, अनुच्छेद 176 के तहत अभिभाषण का बहुत महत्व है।

अनुच्छेद 175 और 176 के तहत 'संबोधन' के बीच अंतर:

- **अनिवार्य संबोधन:**
 - अनुच्छेद 175 कहता है कि राज्यपाल विधायिका को संबोधित कर सकते हैं और इस उद्देश्य के लिए सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।
 - अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण अनुच्छेद 176 के विपरीत एक अनिवार्य संबोधन नहीं है।
- **सामग्री की चर्चा:**
 - अनुच्छेद 175 ऐसे किसी अभिभाषण की सामग्री की चर्चा के बारे में नहीं बोलता है, लेकिन अनुच्छेद 176 में राज्यपाल के अभिभाषण में निहित मामलों पर चर्चा की आवश्यकता है।
- **कार्यकारी जवाबदेही:**
 - संविधान द्वारा एक ही संवैधानिक प्राधिकारी, अर्थात् राज्यपाल, द्वारा विधायिका के एक ही सदस्य के लिए दो अभिभाषणों में इतना अंतर करने का कारण यह है कि अनुच्छेद 176 के अभिभाषण में राज्य की निर्वाचित सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम शामिल हैं, जो विधायिका के प्रति जवाबदेह है।
 - जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही संसदीय लोकतंत्र का सार है।

सरकार द्वारा दी गयी सामग्री:

- अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल जो अभिभाषण देते हैं, वह सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण होता है। इस प्रकार, अभिभाषण के अनुच्छेदों को छोड़ देने का सीधा सा अर्थ होगा कि राज्यपाल उन विचारों को स्वीकार नहीं करते या उनसे सहमत नहीं हैं।
- इसमें राज्यपाल के किसी भी व्यक्तिगत विचार को शामिल नहीं किया गया है, बल्कि केवल चुनी हुई सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।
- **अभिभाषण की सामग्री के लिए अकेले सरकार जिम्मेदार है न कि राज्यपाल।**

क्या राज्यपाल अपनी ओर से कुछ छोड़ या जोड़ सकता है?

- **राज्यपाल स्वयं एक शब्द नहीं बदल सकते।** इसलिए अभिभाषण के कुछ अंशों को जानबूझकर न पढ़कर राज्यपाल अनुच्छेद 176 के अधिदेश के विरुद्ध गए हैं।

- विधान सभा के सदस्यों द्वारा किए गए हंगामे के कारण यदि राज्यपाल पूरा भाषण नहीं पढ़ पाते हैं तो यह दूसरी बात है।
- लेकिन राज्यपाल जानबूझकर अभिभाषण के अनुच्छेदों को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि संविधान उन्हें अभिभाषण में निहित मामलों से असहमत होने या उसमें अपने विचार रखने की अनुमति नहीं देता है।

निष्कर्ष:

- शमशेर सिंह (1974) से नबाम रेबिया (2016) तक, सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य कर सकते हैं और चुनी हुई सरकार की उपेक्षा करके स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
- बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था: "यदि संविधान सिद्धांत रूप में वही रहता है, जैसा कि हम चाहते हैं कि यह होना चाहिए, कि राज्यपाल को विशुद्ध रूप से संवैधानिक राज्यपाल होना चाहिए, जिसमें प्रांत के प्रशासन में हस्तक्षेप की कोई शक्ति न हो, ...।"
- ये ज्ञान की आवाजें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए यदि हम व्यवस्था की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। यदि संवैधानिक अधिकारी जानबूझकर मर्यादा लांगते हैं और व्यवस्था पर दबाव डालते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।

स्रोत: The Hindu

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण से संबंधित है।
2. राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को विधायिका तक पहुँचाया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (c)

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 176(1) यह आदेश देता है कि विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल एक साथ समवेत दोनों सदनों को संबोधित करेंगे और राज्यपाल को सूचित करेंगे। अतः **कथन 1 सही** है।
- राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से, सरकार विधायिका को उस वर्ष के अपने प्रमुख विधायी कार्यक्रमों, पिछले वर्ष की उपलब्धियों और भविष्य के लिए अपने विकास कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा की जानकारी देती है। सरकार के इन कार्यक्रमों और नीतियों को राज्यपाल के माध्यम से विधायिका तक पहुँचाया जाता है। अतः **कथन 2 सही** है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्र. "अनुच्छेद 176 के तहत एक राज्य का राज्यपाल जो अनिवार्य अभिभाषण देता है उसमें केवल चुनी हुई सरकार की नीतियां और कार्यक्रम होते हैं, इसलिए जानबूझकर कुछ हिस्सों को छोड़ना या जोड़ना उक्त अनुच्छेद के जनादेश के खिलाफ जाता है।" चर्चा करें।